

सेवा में,

एच.एम.ओ सिंह
वि.प. त्रिवेण
उ.एम.ओ शासना.

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अजिंकरण,
उ.एम.ओ, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

संख्या : दिनांक : 21/ अगस्त, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत शहरी गरीबी के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य वस्तियाँ तथा नगरीय मलिन वस्तियाँ में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1438/76/एच/2013-14 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वस्तियाँ तथा नगरीय मलिन वस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से निदेशक, सूडा के निवर्तन पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद बुलन्दशहर की बिकाय, छतारी की 33 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-189/26-ब0प0-14-30(आसरा-83)/2013 दिनांक 28.02.2014 द्वारा रु0 97.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 48.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चाहु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका से स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि रु0 48.84 लाख (रुपये अड़तालिस लाख चौंरासी हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ बिकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	प्रति आवास लागत दर	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बुलन्दशहर /छतारी	196	2.96	33	97.68	48.84
योग				33	97.68	48.84


(रुपये अड़तालिस लाख चौंरासी हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अथवा प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 2/

21/ अगस्त, 2015

3. प्रत्येक वर्ष विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तावित पुनः जांच/रीशे का अनुमोदन/सुधार कार्यक्रम विचार प्रक्रिया के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इसे स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही विभाग द्वारा समस्त आयोजनाओं के प्रगति क्रमिकाएं एवं कार्ययोजनाएं तैयार करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि, आहरण, प्रायोजन योजना एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों, शर्तिकाओं के अंतर्गत उपर्युक्तानुसार तैयार किए जाने की आवश्यकता होगी। योजनान्तर्गत परिवर्तन में आवश्यकता क्षेत्रफल, मात्रा/वैशेष्य एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमोदन नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक वर्ष में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्कलेशन अनुमोदन नहीं होगा।
6. सूत्र/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूत्र/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नया कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विधिविधियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निगत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजन लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजन प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजन लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सूत्र/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आभरा योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पन्न से सम्बन्धित नागकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिसूचित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित सथापित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निष्पन्न इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रयस्त हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय राजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरप्राप्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/ड्राकघर/डिपॉजिट खाते व पीएनएएओ में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्तुत आहरण/मुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


13. वृत्त धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा फंडर अथवा अन्य विधि द्वारा प्राप्त धनराशि व्यय हो जाने के कारण 500 करोड़ भारतीय रुपैयाँ/युएस.डी. एवं आयोगीय समन्वयन शासन को समय से उपलब्ध कराया जा सके। निम्नलिखित कार्यों के बाद अनुमानित धनराशि वापस की जाये, तो एकलुप्त शासन को वापस कराने लगेगी।
 14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, जयपुर (कलकट प्रकल्प) पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से उपर्यक्त करायेगा।
 15. परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित इकाई से ब्याजव्यय धनराशि अनुमान करने से पूर्व अनुभव (एमओओयू) निर्धारित किये जाने हेतु सूझ द्वारा सम्बन्धित इकाई को निर्दिष्ट किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एसओसीएसपी/टीएसपी हेतु निर्धारित व्यवस्थाानुसार कैवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आव-व्ययक में अनुदान सख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216 आवस पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-02-शहरी आवस-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24 वृद्ध निर्माण कार्य" के तहत किये जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जयपुर संख्या-1/2015/जी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अधीन,

 (एसपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-784/2015/2113 (1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रधान, 3000, 20-सरोजनी नागड़ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 5000, 13-आवां तार, संगम प्लेस, विपिन साहू, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 5000 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बुन्देलखर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग 8, 3000 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 3000 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 3000, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3000, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूझ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एसपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।